"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2017—— कार्तिक 30, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/एक (1). — राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं/पदों हेतु भर्ती के लिये संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने हेतु, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा तथा इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2012, यथा संशोधित, द्वारा जारी "राज्य सेवा परीक्षा नियम" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

परिशिष्ट-एक में, सरल क्रमांक 1 में, शीर्षक "प्रारंभिक परीक्षा-(वस्तुनिष्ठ प्रकार)", पैरा "न्यूनतम अर्हता अंक" में, शब्द "प्राविण्यता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा." के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"द्वितीय प्रश्न पत्र-पात्रता परीक्षा, अर्हकारी प्रकृति की होगी. इस प्रश्न पत्र में अभिप्राप्त अंको को, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन लिए प्रावीण्य सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जायेगा. प्रथम प्रश्न पत्र-सामान्य अध्ययन की प्रावीण्य सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा ."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 6-3/2008/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/एक (1), दिनांक 21-11-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 21st November 2017

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/one.— The State Government, hereby, makes the following further amendment in the "State Service Examination Rules" issued vide this department's Notification No. F 6-3/2008/One/1, dated 27th August, 2008 and as amended vide this department's Notification dated 24th December, 2012, for Combine Competitive Examination for recruitment to different services/posts held by the Chhattisgarh Public Service Commission, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Annexure-I, in serial number1, Under the Heading "Preliminary Examination- (Objective Type)", in para "minimum qualifying marks", for the words "candidates will be short listed for Main Examination on the basis of merit", the following shall be substituted, namely :-

"Second Question Paper- Eligibility Examination shall be of qualifying nature. Marks obtained in this question paper shall not be added while preparing merit list for short listing of candidates for Main Examination. Candidates shall be selected for Main Examination on the basis of merit list of First Question Paper- General Studies."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REETA SHANDILYA, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.